कार्यालय पुलिस उपायुक्त जोन-काशी, कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 09.04.2025

विषयः-थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा पिकअप में क्रूरतापूर्वक लदे 26 राशि पड़वा/पड़िया (भैस व भैसा) के साथ 02 नफर अभियुक्त पुलिस हिरासत में

श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस उपायुक्त जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के पर्यवेक्षण व श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली महोदय व प्रभारी निरीक्षक रामनगर के नेतृत्व में थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 23 राशि पड़वा व 03 राशि पड़िया (भैस) ठूंस ठूंस कर रस्सियों से क्रूरता पूर्वक बांधा गया था जो बुरी तरह से हांफ रहे थे। पकडे गए व्यक्तियो को कारण गिरफ्तारी बताते हुए अन्तर्गत धारा 11 पशु क्ररता अधिनियम हिरासत पुलिस में लिया गया।

घटना का विवरणः- दिनांक 09/04/2025 को रामनगर पुलिस टीम द्वारा पीएसी तिराहे पर आपरेशन चक्रव्यूह के तहत चेकिंग की जा रही थी जहां मुखबीर खास से सूचना मिली की पंचवटी तिराहे से एक सफेद रंग की पिकप नं0 UP65CT3661 जिसमे जानवर लदे है दुर्गा मंदिर की तरफ से पीएसी तिराहे की ओर आ रहे है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा बैरियर लगाकर दुर्गा मन्दिर की ओर से आने वाले वाहन का इंतजार करने लगे तभी एक वाहन आता हुआ दिखाई दिया जिसे रुकने का इशारा किया गया तो हम पुलिस वालों को देखकर वाहन को पीछे मोड़ कर भागना चाहा परन्तु हमराही कर्मचारी की मदद से घेर कर दो व्यक्तियो को पिकं अप गाड़ी के साथ पकड़ लिया गया। पकड़ी गयी पिकप संख्या UP65CT3661 के तिरपाल को खोलकर देखा गया तो पिकप के अन्दर 23 राशि पड़वा व 03 राशि पड़िया ठूंस ठूंस कर रस्सियों से क्रूरता पूर्वक बांधा गया था जो बुरी तरह से हांफ रहे थे। पकडे गए व्यक्तियो को कारण गिरफ्तारी बताते हुए अन्तर्गत धारा 11 पशु क्ररता अधिनियम हिरासत पुलिस में लिया गया।

बरामदगी का विवरण-23 राशि पड़वा व 03 राशि पड़िया कुल 26 राशि पड़वा / पड़िया व घटना में प्रयुक्त पिकअप संख्या UP65CT3661।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1- हेमन्त कुमार पुत्र हीरालाल विश्वकर्मा निवासी म0नं0- 2 / 224 मच्छरहट्टा थाना रामनगर कमि0 वाराणसी उम्र 29 वर्ष
2- मो0 एखलाख पुत्र स्व0 इब्राहिम निवासी म0नं0-26 / 91 कमलगढ़ा थाना जैतपुरा कमि0 वाराणसी उम्र 29 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 09/04/2025 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री अमीर बहादुर सिंह चौकी प्रभारी भीटी थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी के लिखित फर्द जिसमें 26 राशि भैस भैसा को पिक अप संख्या UP65CT3661 में क्रूरतापूर्ण तरीके से बांधकर ले जाया जा रहा था जिसे पुलिस टीम द्वारा बरामद कर मौके से 02 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-0066/2025 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया।

<u>पुलिस टीम का विवरण –</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजू सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 श्री अमीर बहादुर सिंह चौकी प्रभारी कस्बा थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. उ0नि0 श्री आदित्य राय चौकी प्रभारी भीटी थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
4. उ0नि0 श्री सुधीर कुमार यादव थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
5. उ0नि0 श्री अमित कुमार यादव थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
6. उ0नि0 श्री पंकज कुमार मिश्र थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
7. उ0नि0 श्री अंशू पाण्डेय थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
8. का0 शैलेन्द्र सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
9. का0 गौरव भारती थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त कार्यालय
जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी